पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल से विधि छात्र-छात्राओं का दल मिला

न्याय से जुडे छात्र-छात्राओं को व्यवहारिक ज्ञान हासिल करना चाहिए - राज्यपाल

लखनऊः 11 जून, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ में प्रशिक्षण सत्र में शामिल होने आये विभिन्न राज्यों के विधि छात्रों के एक दल ने भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर, सचिव श्री चन्द्र प्रकाश, विधि परामर्शी श्री शिव शंकर उपाध्याय, अपर विधि परामर्शी श्री कामेश शुक्ला व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने विधि छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। कानून के अच्छे जानकार बनें तथा समय का सदुपयोग करते हुए विद्या ग्रहण करें। जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करें उसमें विशेषज्ञता अर्जित करें। अदालत की प्रक्रिया, पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्यवाही व प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को बारीकी से समझें। उन्होंने कहा कि न्याय से जुडे छात्र-छात्राओं को व्यवहारिक ज्ञान हासिल करना चाहिए।

श्री नाईक ने कहा कि आगे चलकर इन्हीं छात्र-छात्राओं में से कुछ अधिवक्ता बनेंगे और कुछ न्यायिक सेवा में जायेंगे। न्यायिक प्रक्रिया के लम्बे होने के कारण आम तौर से समय पर न्याय नहीं मिलता। अधिनियम, अध्यादेश एवं सरकारी नीतियों के बारे में पूरी जानकारी रखें। उन्होंने कहा कि प्रयास होना चाहिए कि कम से कम खर्च में और कम से कम समय में न्याय उपलब्ध हो।

राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे स्वयं विधि स्नातक हैं। महाराष्ट्र के तारापुर अणुऊर्जा परिकल्प केस में उन्होंने तारापुर के प्रभावित दो देहात के 1250 विस्थापित परिवार, जिनमें मुख्यतः मछुवारे, किसान एवं आदिवासी हैं, के पुनर्वास के लिए स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर पैरवी की थी।

राज्यपाल के पद के दायित्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक है। संवैधानिक पद होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान एवं कानून का अक्षरशः पालन करें एवं करायें। उन्होंने बताया कि राज्यपाल पद पर मनोनीत होने के बाद जब वे राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेट हेतु राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली गये थे तो राष्ट्रपति डा॰0 प्रणव मुखर्जी ने उन्हें संविधान की प्रति भेंट करते हुए कहा था कि 'अब इसके अनुसार काम करना होगा'। राज्यपाल ने इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के अन्य सवालों के भी जवाब दिये।